



माननीय राजस्व मण्डल (राजस्व बोर्ड) ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण या. प्रकरण क. /2018

प्रस्तुति दिनांक

क्रि.सं. - 4557/2018/इ.दौर/भ.प्र.

- 1 चिन्तामन पिता नाथूजी
 - 2 रामकिशन पिता नाथूजी
 - 3 केशाराम पिता नाथूजी
 - 4 मदन पिता नाथूजी
- सभी वयस्क एवं निवासी खिमलावदा तहसील
देपालपुर जिला इंदौर म.प्र.

— प्रार्थीगण

विरुद्ध

- 1 सुनिता पिता नानूरामजी
निवास खिमलावदा तहसील
देपालपुर जिला इंदौर म.प्र.
- 2 शंकरलाल पिता नगजीराम खाती
निवास खिमलावदा तहसील
देपालपुर जिला इंदौर म.प्र.
- 3 म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार महोदय
देपालपुर जिला इंदौर म.प्र.

— प्रतिपार्थीगण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भु राजस्व सहितां

आपत्तिकर्ता/प्रार्थी की ओर से सविनय निवेदन है कि :-

प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका श्रीमान् तहसीलदार महोदय देपालपुर म.प्र. द्वारा मामला क्रमांक आर.सी.एम.एस. 00 अ/-74/2017 में पारित आदेश दिनांक 21/03/2018 जिसमें पूर्व विवादित सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर पारित आदेश दिनांक 28/09/2017 के आदेश अनुसार राजस्व निरीक्षक वृत्त, मोजा पटवारी मौके पर सीमा चिन्ह विवादित फिल्ड बूक अनुसार पुनःस्थापित किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एवं राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण सीमांकन दिनांक 20/05/2017 एवं एस.एल.आर महोदय द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 07/07/2017 के अनुसार त्रुटिपूर्ण सीमांकन रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन से व्यथित होकर, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार सादर प्रस्तुत कि जा रही है कि:-

M.K. Tewari
173
म.प्र. शासन

श्री. म.प्र. शासन
द्वारा आदेश दिनांक 25/3/18 को
प्रस्तुत प्रारम्भिक वृत्त हेतु
दिनांक 7-8-18 नियत।
कलकत्ता ऑफ कोर्ट 25-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

R-4557/2018/इन्वेस्ट | Rev.

3-10-18

DP

आवेदक की ओर से प्रथम
उपरोक्त कोई उपाय नहीं
उक्त समय-समय पर लीव-वार्ड
उत्तरक सजवाई गई फिर भी
उन्की ओर से कोई उपाय नहीं

कस: प्रकरण आवेदक की अनुपारि-शरत
के कारण अदक पैरवी के रकारेज
की जाती है

सु
रिड

अध्यक्ष